दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
9/7/24	पत्रावली पेश हुई। [illegible] पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते ~~मसमी / जवाब~~ दिनांक 26/7/24 को पेश हो। [signature]	
26/7/24	पत्रावली पेश हुई, [illegible] [illegible]/कार्य का बहिष्कार [illegible] [illegible] पूर्वानुसार दिनांक 12/8/24 पेश हो। [signature]	
12/8/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी के पेशकार [illegible] की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 22/8/24 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला-जयपुर	
22/8/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील प्रार्थी की बहस का मनन किया गया। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्र० पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राज० भू-राजस्व अधि० को स्वीकार किया जाता है तथा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज खुले इजलास में सुनाया गया। पत्रावली [illegible] रजिस्टर [illegible] दर्ज हो तथा बाद [illegible] दाखिल दफ्तर हो। [signature]	

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला-जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
44 / 2020	08 / 07 / 2020	22.08.2024

1. बाबूलाल पुत्र लादूराम
2. रामजीलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण
3. प्रभात पुत्र रामनाथ
4. महेश पुत्र कानाराम
5. मूलचन्द पुत्र काना
6. रामस्वरूप पुत्र श्योनारायण
7. राजेन्द्र पुत्र गुलाब

समस्त जाति ब्राहमण निवासी ग्राम खतेहपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।

प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

अप्रार्थी

उपस्थित अभिभावक
श्री रामस्वरूप शर्मा :– वकील प्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र बाबत नक्शा दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 131, 132
सपठित धारा 136 भू–राज0 अधिनियम
–: निर्णय:–

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता के वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि जिसके हाल खसरा नम्बर 258, 259, 285, 288, 298, 300, 304 ग्राम खतेहपुरा पटवार हल्का बूज, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है जो कि प्रार्थीगण की पैतृक भूमि है तथा खसरा नम्बर 301 गै0मु0रास्ता जिसके साबिक खसरा नम्बर 201 है। हाल खसरा नम्बर 258, 259, 285, 288, 298, 300, 304 प्रार्थीगण की पैतृक खातेदारी भूमि है तथा खसरा नम्बर 301 गै0मु0रास्ता जिसके साबिक खसरा नम्बर 201 है जिस पर प्रार्थीगण अपने पूर्वजो के समय से व उनके बाद से काबिज काश्त चले आ रहे है जो कि उक्त भूमि का हाल सेटलमेंट में जो नवीन नक्शा कायम किया गया है। वह सेटलमेंट कर्मचारियों ने लिपिकीय भूल करते हुये पूर्व नक्शें के विपरीत जाकर नवीन नक्शा कायम किया है जिससे खसरा नम्बर 258, 259, 288, 298, 300, 304 प्रभावित हो रहे है जो कि एक प्रकार की लिपिकीय भूल है जिसको दुरूस्त करवाने के प्रार्थीगण अधिकारी है। प्रार्थीगण अपने पूर्व नक्शें अनुसार कब्जा मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा वर्तमान में भी पूर्व नक्शें अनुसार ही काबिज है लेकिन जो नवीन नक्शा कायम किया गया वह पूर्व नक्शें के विपरित जाकर सहवन से सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा गलत जारी किया गया है जिसका उनको कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है तथा प्रार्थीगण पूर्व नक्शें अनुसार काबिज काश्त है तथा अपने कब्जे के अनुसार खेती जोत कार्य कर रहे है। सेटलमेंट कर्मचारियों के द्वारा नवीन कायम करते समय राजस्व नक्शें में खसरा नमबर 258, 259, 285, 288, 298, 300, 304 में प्रवेश करते हुये व रास्ता कायम करते हुये नक्शा कायम कर दिया है तथा जो रास्ता कायम किया गया है वह पूर्व नक्शे में दक्षिण से उत्तर खसरा नम्बर 290 तक ही था लेकिन सेटलमेंट कर्मचारियों ने बिना किसी आधार व हकअधिकार के नवीन नक्शा कायम करते समय प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 258, 259, 285, 288, 298, 300, 304 के पूर्व दिशा अर्थात बाढबूज की सीमा से लगते हुये आगे खसरा नम्बर 258 तक रास्ता कायम कर दिया है जो कि गलत है किन्तु राजस्व कर्मचारियों की

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला-ज

भूल व त्रुटि के कारण नवीन नक्शें में उक्त प्रकार से नक्शा गलत कायम किया गया है। जिसको दुरूस्त करवाने के प्रार्थीगण अधिकारी है। अतः हाल खसरा नम्बर 290, 288, 286, 259, 258 व खसरा नम्बर 301 गै0मु0रास्ता जिसके साबिक खसरा नम्बर 201 के नवीन नक्शें को दुरूस्त कर पूर्व नक्शें अनुसार कायम करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

उक्त प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/एल0आर0/24/1503 दिनांक 01.05.24 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि ग्राम खतेहपुरा के खसरा नम्बर 258, 259, 285, 288, 298, 300, 304 में एकीकरण साबिक नम्बर कमशः 174/11, 184, 185, 190/2, 199मि., 200, 204 है तथा वर्तमान खसरा नम्बर 301 गै0मु0रास्ता के एकीकरण साबिक नम्बर 201 है। एकीकरण के नक्शें में खसरा नम्बर 201 गै0मु0रास्ते के दक्षिण से उत्तर तक की सीमा खसरा नम्बर 200 तक है तथा वर्तमान नक्शें में इसको आगे तक बढा दिया गया है इसे वर्तमान नक्शें खसरा नम्बर 290, 258, 286, 285, 259, 258 प्रभावित हुए है। एकीकरण के नक्शें में खसरा नम्बर 201 गै0मु0 रास्ते की सीमा एकीकरण खसरा नम्बर 200 तक थी। जिसे उत्तर की तरफ वर्तमान खसरे मे बढा दी गई। जिसे नक्शें में लाल स्याही से दर्शाया गया है।

अतः वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगणों के प्रार्थना पत्र, तहसीलदार रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने पर व वकील प्रार्थीगण की बहस का मनन करने पर प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राज0 भूराजस्व अधि0 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार जमवारामगढ को आदेश दिया जाता है कि ग्राम खतेहपुरा, पटवार हल्का बूज, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण में स्थित भूमि में वर्तमान खसरा नम्बर 290, 258, 286, 285, 259, 258 व खसरा नम्बर 301 गै0मु0रास्ते के वर्तमान नक्शें को एकीकरण नक्शे अनुसार दुरस्त कर वर्तमान नक्शें में तरमीम की जावें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफतर हो ।

निणय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 22.08.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला-जयपुर

(ललित मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
जमवरामगढ